Power Supply to Rural Areas

2820. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that power supply to the rural areas is of poor quality characterised by low voltage, frequent trippings and regular fluctuations while electricity charges are as high as in other areas; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure regular and smooth supply of electricity to rural areas at par with that in urban areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Distribution of power to various consumers both in urban and rural areas in a state is regulated by the respective State Electricity Boards. The quality of power supply depends on the demand and availability of power and the infrastructural facilities created by the State Electricity Board. Tariffs for sale of electricity to the consumers are fixed by the State Electricity Board, with the approval of the State Government concerned.

विद्युत क्षेत्र में निजी कम्पनियों को दी जाने वाली प्रति-गारंटियां

2821. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 1994 के "हिन्दु" में पावरः नो मोर काउंटर गारंटीज शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने निजी क्षेत्र की किसी भी नई परियोजना को गारंटी न देने का निश्चय किया है;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक गारंटी दी जा चुकी है;

(घ) इन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या है तथा प्रत्येक परियोजना के निर्माण की लागत तथा उत्पादन क्षमता कितनी होगी और उसकी समाप्ति के लिए क्या अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गई;

(ङ) क्या सरकार को इन परियोजनाओं की उस लागत के विषय में कोई जानकारी है, जिस पर इन परियोजनाओं द्वारा विद्युत का उत्पादन किए जाने की सम्भावना है; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 में प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रत्येक परियोजना के मामले में विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी-कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रमैया नायडु): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) यद्यपि विदेशी निवेश के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित सात विद्युत परियोजनाओं को काउण्टर गारंटी प्रदान करने हेतु सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया गया है, लेकिन, अभी तक किसी कम्पनी को काउन्टर गारंटी प्रदान नहीं की गई है।

विद्युत उत्पादन की लागत

2822. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्युत का उत्पादन मुख्यतः जल, ताप तथा परमाणु क्षेत्रों में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इनमें प्रत्येक क्षेत्र में वर्ष 1993-94 के दौरान विद्युत की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक क्षेत्र-वार विद्युत की कितनी मात्रा का उत्पादन होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों से होने वाले विद्युत के उत्पादन की लागत का भी मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रमैया नायडु): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में ऊर्जा उत्पादन निम्नलिखित था:—

क्षेत्री	ऊर्जा उत्पादन (मि० यू०)
तापीय	247618
न्यूक्लीय	5394
जल विद्युत	70311
जोड़:	323323

(ग) और (घ) ताप और जल-विद्युत केन्द्रों के संबंध में वर्ष 1992-93 के दौरान विद्युत उत्पादन की केन्द्रों के संबंध में वर्ष 1992-93 के दौरान विद्युत उत्पादन की अखिल भारतीय स्तर पर औसत लागत निम्नलिखित थी:—

तापीय	— 95.63 पैसे / कि०वा०घ०
गैस आधारित	— 81.32 पैसे / कि०वा०घ०
जल विद्युत	— 20.68 पैसे / कि०वा०घ०

जून, 1994 के अनुसार भारत में न्यूकलीय विद्युत संयत्रों द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के टैरिफ निम्नलिखित हैं:—

केन्द्र	टैरिफ (पैसे / कि०वा०घ०)
तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र	63.31
राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र	64.81
मद्रास परमाणु ऊर्जा केन्द्र	72.23
नरोरा परमाणु ऊर्जा केन्द्र	146.66
काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा केन्द्र	207.45

Handing over of power projects to domestic and Foreign Companies

2823. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken to hand over various power projects to the domestic and foreign companies; and

(b) if so, the details thereof alongwith the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) In the context of paucity of resources with Central/State PSUs and SEBs and to bridge the gap between the rapidly growing demand for electricity and supply, a policy to encourage greater investments by private enterprises in the power sector with the objective of mobilising additional resources for capacity addition in power generation and distribution, had been formulated in 1991 and is currently under implementation. Details of the policy are given in Statement.

Statement

Details of the Policy to Encourage Greater Private Investments in power generation and distribution to tap Additionality of Resources

The following are the details of the scheme to encourage greater private sector participation in the electricity generation, supply and distribution:

* The Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948 have been amended to bring about a new legal, administrative and financial environment for private enterprises in the Electricity Sector.

* Private Sector can set up thermal projects (coal/gas) and hydel projects and wind/solar energy project of any size.

* Electricity Projects where the total outlay does not exceed Rs. 25 crores need not be submitted to the Central Electricity Authority for concurrence.

* Private sector companies can set up enterprises to operate either as licensees or as generating companies.

* All private companies entering the Electricity Sector hereafter will be allowed a debt-equity ratio upto 4 : 1.

* Promoter's contribution should be at least 11% of the total outlay.

* To ensure that private entrepreneurs